

परिशिष्ट 'एक'

"परीक्षा योजना"

- (1) परीक्षा दो चरणों में होगी, प्रथम चरण लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

लिखित परीक्षा	—	600 अंक
साक्षात्कार	—	75 अंक
कुल	—	675 अंक

- (2) लिखित परीक्षा:—

- (i) लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे:—

प्रश्न पत्र—I सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या	150	2:30 घंटे	अंक 300
भाग 1 — सामान्य अध्ययन	—	50 प्रश्न (लगभग)	
भाग 2 — छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान	—	75 प्रश्न (लगभग)	
भाग 3 — बुद्धिमत्ता परीक्षण	—	25 प्रश्न (लगभग)	
कुल	—	150 प्रश्न	

प्रश्न पत्र—II शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार

प्रश्नों की संख्या	150	2:30 घंटे	अंक 300
--------------------	-----	-----------	---------

- (ii) लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा।
- (iii) प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके संबंध में वे आश्वस्त हों कि वह उत्तर

सही है। क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक कम किया जाएगा। (कुल प्राप्त अंक (2R-W) होंगे जहां R = सही उत्तरों की संख्या एवं W = गलत उत्तरों की संख्या)

* यदि परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से एक से अधिक विकल्पों से संबंधित गोलों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से काला किया जाता है तो संबंधित प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसके लिए 01 अंक कम किया जाएगा।

* किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प से संबंधित गोले को काला नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी।

(iv) प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होंगे।

(v) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट—दो में दी गई है।

(vi) लिखित परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

- (3) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

- (4) साक्षात्कार:— साक्षात्कार के लिए 75 अंक होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे)।

- (5) चयन सूची:— उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□□□

परिशिष्ट 'दे'

"पाठ्यक्रम"

"प्रश्नपत्र-I"

सामान्य अध्ययन

भाग-1 सामान्य अध्ययन :-

1. भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का भूगोल।
2. भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि।
3. भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन।
4. समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।
5. सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग-2 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान:-

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएँ।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

भाग-3 बुद्धिमत्ता परीक्षण:-

1. गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं आंकड़ों का विश्लेषण।

"प्रश्नपत्र-II"

शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार

इकाई 01-शिक्षा का आधार:- शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा एवं समाज का संबंध। लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, मानवीय पूँजी निवेश के रूप में शिक्षा की अवधारणा तथा शैक्षिक नियोजन, समुदाय एवं विद्यालय के मध्य सहयोग, सामुदायिक केन्द्र के रूप में विद्यालय का स्वरूप, पालक-शिक्षक संघ, सामाजिक गतिशीलता-क्षैतिज एवं उदग्र, शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव।

इकाई 02-शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व :- शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, सिद्धांत और प्रविधियाँ, विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासनिक युक्तियाँ, कक्षा प्रबंध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, शैक्षिक पर्यवेक्षण अर्थ एवं युक्तियाँ, विद्यालयीन स्तर पर शैक्षिक पर्यवेक्षण में अपेक्षित सुधार, विद्यालय परिवेश एवं कक्षागत परिवेश की विशेषण-विधियाँ, प्रधानाचार्य से अपेक्षाएँ। छ.ग. में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन।

इकाई 03-विद्यालय संगठन एवं सुधार :- विद्यालय आरंभ करने की शर्तें, संस्थागत पर्यावरण एवं संगठनात्मक चारित्र्य (इथास), विद्यालय का समाज से संबंध, समय सारणी निर्माण के सिद्धांत एवं कार्य-भार निर्धारण, छात्र प्रबंध, प्रवेश, वर्गीकरण एवं प्रोन्नति से तात्पर्य, प्रोन्नति के साधन, विद्यालय-अभिलेख, संचयी-अभिलेख एवं उसकी उपयोगिता, प्रभावी विद्यालय की धारणा, क्रियात्मक, अनुसंधान की अवधारणा एवं विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने हेतु उसका उपयोग।

इकाई 04- शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार :- शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, भारतीय परिपार्श्व, मुदालियर शिक्षा आयोग (1950-52) शिक्षा आयोग (1964-66) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), नवीन शिक्षा नीति (1985) एवं शिक्षा का लोक-व्यापीकरण, शैक्षिक अवसरों की समानता, गुणवत्ता एवं स्वायत्ता की समस्या, शिक्षा के औपचारिक, निरौपचारिक दूरवर्ती एवं खुली शिक्षा प्रणाली एवं आनुसंगिक व्यवस्थाएँ - उनकी अवधारणाएँ, नीतिगत परिप्रेक्ष्य एवं समस्याएँ, शिक्षा में नवाचारी प्रवृत्तियाँ, कम्प्यूटर संबंधित अभिगम एवं शिक्षण, शिक्षकों का व्यवसायिक उन्नयन, मूल्यों पर आधारित शिक्षा एवं शिक्षण के विकास में शिक्षक की भूमिका, रचनात्मक शिक्षण एवं एतद् विषयक उदाये गये कदम।

इकाई 05 - शिक्षा का अधिकार।

इकाई 06 - शिक्षा का अधिकार।

"प्रश्नपत्र-II"

Educational Administration and Right to Education

Unit 01-Foundation of Education :- Meaning and aims of education, Goals of democratic educational system, constitutional provisions relating to education in India, Social foundation of education relationship between education and society, Socialism, Secularism, National unity (integration) Education and national development, Concept of education as an investment in human capital and educational planning, co-operation between school and community, the school is a community centre, parent-teacher association, social mobility horizontal and vertical, influence of education on social mobility.

Unit 02- Educational administration and leadership :- aims of educational administration- principles and technique, school management and administrative tactics, classroom management and administrative systems, educational supervision and strategies, needing improvement in educational supervision at school level, Methods of analyzing the school environment (ecology) and the classroom ecology, expectations from a principal, the educational and administration of higher secondary school in Chhattisgarh.

Unit 03- School Organization and its improvement:- Conditions for starting a school, Institutional environment and organizational ethos, relation-ship of a school with society, Principles of framing a time-table & work load determination, student management, admission, classification and promotion-its meaning and method of promotions, school records cumulative record and its utility, concept of an effective school, concept of action research in education and its use in making school organization effective.

Unit 04- Qualitative aspects of education and Innovations :- Development of education and its problems in the Indian scene, Mudaliar education commission (1950-52) Education Commission (1964-66) National policy on education (1968) Mew education policy (1985) and universalization of educational quality of educational opportunity, Problem of quality and autonomy, Formal non formal distance and open education systems and informal arrangements of education- their concept, policy perspectives and problems, innovative trends in education, computer, assisted learning and teaching (CALT) professional improvement of teaching value based education and the role of teacher in the development creative teaching and steps taken in this regard.

Unit 05 - Right to Education.

Unit 06 - Right to Education.